


परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.6)

कर प्रशासन प्रक्रिया



1. सीपीसी-टीडीएस (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र-स्रोत पर कर संग्रहण), बैंको, कटौतीकर्ताओं, निर्धारण अधिकारियों (एओ) और कर पेशवरों सहित विभिन्न स्रोतों से सूचना का मिलान और सह-संबंधित करता है।
2. ओएलटीएएस (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली), सभी प्रकार के करदाताओं से प्रत्यक्ष कर के संग्रहण, लेखांकन और प्राप्तियों और भुगतान की रिपोर्टिंग की, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन एक प्रणाली है।
3. सीपीसी-आईटीआर (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र- आय का रिटर्न), आयकर रिटर्न (आईटीआर) की बल्क प्रसंस्करण के लिए शीघ्रता से निर्धारिती को देय प्रतियोगिता या कर भुगतान को निर्धारित करता है।
4. इनसाइट पोर्टल, काले धन और कर अपवंचन के प्रति डेटा माइनिंग, अनुसंधान और विश्लेषण का उपयोग करता है और सीएएसएस (कम्प्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन) चयन के लिए इनपुट उपलब्ध कराता है।
5. एनएसडीएल (राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड), टिन-सुविधाओं (टिन-एफसी) और पैस केन्द्रों की उसकी चेन के माध्यम से पैस आवेदनों को स्वीकार करता है और पैस जारी करता है।
6. करदाताओं को अगामी वितरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सीएमपी ब्रांच का सीपीसी/एओ द्वारा उत्पन्न प्रतियोगिता का सुविधा संचरण।
7. आईटीबीए (आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग), पेपर रहित इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण को सृजित करने और आयकर विभाग की विभिन्न कार्यप्रणालियों की पहुँच हेतु सिंगल यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराने वाला एक व्यवसायिक अनुप्रयोग है।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.4)

राज्य	2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयन की गई इकाइयों में पूर्ण किए गए निर्धारण	2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	2019-20 के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	आईएपी द्वारा देखा गया निर्धारण जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई	प्रतिशतता जहां आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	26,514	16,441	1,275	231	18.12
असम	4,327	4,069	269	8	2.97
दिल्ली	42,998	40,112	2,074	35	1.69
गुजरात	8,486	7,868	575	8	1.39
यूटी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूटी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा	31,710	23,199	1,329	84	6.32
कर्नाटक और गोवा	8,881	8,301	639	75	11.74
केरल	4,768	4,638	434	114	26.27
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	31,721	24,232	1,319	55	4.17
महाराष्ट्र	89,383	41,731	2,195	62	2.82
ओडिशा	3,667	3,322	368	13	3.53
राजस्थान	10,488	10,382	430	12	2.79
तमिलनाडु	27,257	23,903	2,285	94	4.11
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड	23,576	22,871	747	2	0.27
पश्चिम बंगाल	34,161	32,271	2,254	12	0.53
कुल	3,47,937	2,63,340	16,193	805	4.97

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.3)

मंत्रालय को भेजे गए डीपी के संबंध में अभ्युक्तियों का श्रेणीवार विवरण		
उप श्रेणी	मामले	टीई (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	300	1,144.58
क. आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां	39	291.17
ख. कर की दर, अधिभार आदि का गलत आवेदन	50	118.40
ग. रिटर्न के प्रस्तुतीकरण में देरी, कर के भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/शास्ति का गैर/कम उदग्रहण	198	668.24
घ. प्रतिदाय पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज	6	24.08
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियां	7	42.69
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	175	2,972.12
क. अनियमित रियायतों/कटौतियों/छूट/राहत/मैट क्रेडिट	30	1,733.64
ख. अनियमित रियायतों/कटौती/ट्रस्टों/फर्मों/समितियों को दी गई राहत	3	2.85
ग. व्यक्तियों को दी गई/अनियमित रियायतों/कटौती राहत	2	1.66
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	42	188.86
ङ. मूल्यहास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं	98	1,045.11
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छुपी हुई आय	80	8,639.39
क. मैट/टोनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	8	234.18
ख. सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण न की गई/कम निर्धारित आय	17	1069.86
ग. पूंजीगत लाभों की गलत वर्गीकरण और संगणना	10	7015.68
घ. आय की गलत संगणना	19	19.36
ङ. टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटियां	7	13.89
च. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	10	249.41
छ. आर्म्स लेंथ प्राईस का गलत अनुमान	9	37.01
घ. अन्य	23	137.04
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	23	137.04
कुल	578	12,893.13

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.6)

वि.व. 2017-18 से वि.व. 2019-20 के दौरान अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण					
राज्य	वि.व. 2019-20 में मांगे गए अभिलेख	वि.व. 2019-20 में अप्रस्तुत	वि.व. में अप्रस्तुत अभिलेखों का प्रतिशत		
			2019-20	2018-19	2017-18
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	13,508	723	5.35	5.05	5.26
असम	4,327	258	5.96	2.16	0.59
बिहार	902	21	2.33	5.05	6.81
छत्तीसगढ़	6,959	46	0.66	0.00	0.30
दिल्ली	43,380	2,889	6.66	9.32	21.45
गोवा	796	1	0.13	2.37	2.46
गुजरात	8,485	618	7.28	2.26	2.40
हरियाणा	13,577	192	1.41	0.68	4.77
हिमाचल प्रदेश	430	36	8.37	1.56	5.24
जम्मू व कश्मीर; और लद्दाख के यूटी	1,016	0	0.00	10.66	1.26
झारखंड	2,008	17	0.85	1.46	2.03
कर्नाटक	8,085	252	3.12	2.91	5.64
केरल	5,056	314	6.21	3.22	5.01
मध्य प्रदेश	18,324	533	2.91	3.75	11.67
महाराष्ट्र	46,471	1,763	3.79	4.86	8.59
ओडिशा	3,989	345	8.65	5.99	6.94
पंजाब	6,578	104	1.58	2.35	5.08
राजस्थान	10,513	106	1.01	4.82	9.74
तमिलनाडु	32,595	8,618	26.44	12.31	11.38
यूटी चंडीगढ़	2,013	83	4.12	1.11	0.06
उत्तराखंड	2,097	11	0.52	0.55	1.56
उत्तर प्रदेश	17,653	305	1.73	1.60	1.67
पश्चिम बंगाल	31,177	2,153	6.91	5.11	6.49
कुल	2,79,939	19,388	6.92	4.98	8.27